# कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक,
# उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।

सुयाल स्टेट, ट्रांसपोर्ट नगर, तल्ली हल्द्वानी। जनपद–नैनीताल। Email-dsmhaldwani@gmail.com, दूरभाष संख्या 9568003218


दिनॉक 04/11/2024

पत्रॉक –2267 /सूचना प्रकाशन/

सेवा में,

मैसर्स अनुष्का एडवरटाईजर्स
नियर साई हास्पिटल, मुखानी–हल्द्वानी
जनपद–नैनीताल।

विषयः– विज्ञापन प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया निम्न सूचना को डी0ए0वी0पी0 शासकीय दरों पर छूट के साथ 6x8 सेंटीमीटर के कालम में निम्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। वन विकास निगम का जी0एस0टी0 नंम्बर 05AAALU0009MOZG है।

01.दैनिक जागरण, हल्द्वानी (कुमाऊँ संस्करण) दिनॉक 05.11.2024
02.हिन्दुस्तान, हल्द्वानी (कुमाऊँ संस्करण) दिनॉक 05.11.2024
03.उत्तर उजाला (कुमाऊँ संस्करण) दिनॉक 05.11.2024

भवदीय

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, हल्द्वानी

**कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।**

**जब्ती प्रकाष्ठ एवं खतरनाक खड़े वृक्ष की लौटों के नीलाम के सम्बन्ध में सूचना**

उत्तराखण्ड वन विकास निगम के समस्त पंजीकृत क्रेताओं को सूचित किया जाता है कि दिनॉक 20.11.2024 के पूर्वान्ह 11:00 बजे से तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी से प्राप्त जब्ती प्रकाष्ठ (जहॉ है जैसा है के आधार पर) एवं लौगिंग प्रभागों से प्राप्त खतरनाक/खड़े वृक्ष की लौटों की सार्वजनिक नीलाम लालकुऑ डिपो संख्या–01 में स्थित नीलाम गृह में सार्वजनिक नीलाम सम्पन्न किया जायेगा। विक्रय सूची वेबसाइट– uafdc.in पर भी उपलब्ध है,साथ ही लालकुऑ डिपो सं0 01 एवं हल्द्वानी डिपो सं0 03 से प्राप्त की जा सकती है।
दूरभाष संख्या–हल्द्वानी 9568003218

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, हल्द्वानी

पत्रॉक 2267 /उक्तदिनॉकित

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01.प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
02.महाप्रबन्धक (कु0मं0) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।
03.क्षेत्रीय प्रबन्धक (कु0क्षे0) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।
04.प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी।
05.समस्त प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
06.समस्त डिपो अधिकारी, विक्रय प्रभाग, हल्द्वानी।
07.नोटिस बोर्ड।

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, हल्द्वानी।

Scanned with OKEN Scanner

# उत्तराखण्ड वन विकास निगम

## खडे वृक्षों के सार्वजनिक नीलाम/निविदा हेतु शर्ते

1. खडे वृक्षों के विक्रय हेतु नीलाम/निविदा कार्यवाही "जहॉ है जैसा है" के आधार पर सम्पन्न होगी।

2. नेक जमानत/गेट मनी/प्रवेश शुल्क :-

(i) नीलाम/निविदा-- नीलाम में भाग लेने हेतु इच्छुक क्रेता द्वारा नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क हेतु रूपया 11800.00 (दस हजार रूपये मात्र) (निविदा मूल्य का 2.5% या रूपया 11800.00 जो भी अधिक हो) का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर/राष्ट्रीय बचत पत्र जो सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक/प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक या प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पदनाम बंधक/निरूपित हो, जमा करना अनिवार्य है। नीलाम हेतु प्रवेश शुल्क नकद भी जमा की जा सकती है। जिसकी मूल धनप्राप्ति रसीद नीलाम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

(ii) उच्चतम प्राप्त नीलाम/निविदा सम्बन्धी नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क, जो विक्रय मूल्य सम्बन्धी धनराशि देयको के विरूद्ध समायोजित हो सकेगी, को रोककर अन्य क्रेताओ की उक्त धनराशि यथाशीघ्र विलम्तम 3 (तीन) दिन के अन्दर वापस कर दी जायेगी या क्रेता के लिखित अनुरोध पर अन्य लौट के देयकों के विरूद्ध समायोजित की जा सकेगी।

3. इच्छुक क्रेता द्वारा अपने नाम, पता आदि के प्रमाणन हेतु निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है:-

(i) व्यापार कर खाता संख्या प्रमाण प्रमाण पत्र (ii) पैन कार्ड (iii) आधार कार्ड और (iv) राशन कार्ड/वोटर कार्ड/वाहन चालन अनुज्ञा एवं अन्य पहचान पत्र जो पहचान पत्र के रूप में मान्य हो, की स्व सत्यापित छायाप्रति।

4. सम्बन्धित लौट की विक्रय सूची में लौट की स्थिति, वृक्षों का विवरण, कार्य अवधि अंकित है। इच्छुक क्रेता का चाहिए कि नीलाम/निविदा में भाग लेने से पूर्व लौट के वृक्षों का भली-भॉति निरीक्षण कर लें। यदि कोई भिन्नता हो तो क्रेता यथा स्थिति पुष्टि उपरान्त ही नीलाम/निविदा में भाग लेवें। नीलाम/निविदा स्वीकार होने के पश्चात् लाट की मात्रा-गुणवत्ता के सम्बन्ध में क्रेता का कोई प्रत्यावेदन/क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा/मान्य नहीं होगा और प्रथम दृष्टया ही अमान्य कर दिया जायेगा।

5. (i) नीलाम में लाट की बोली स्वीकार होने के तुरन्त बाद उसी दिन क्रेता को उस लाट की कीमत का 10 प्रतिशत जमानत वन निगत के अधिकृत कर्मचारी के पास जमा करके रसीद लेनी होगी।

(ii) निविदा की दशा में उच्चतम निविदा सूचना प्रेषित किए जाने की तिथि से (सूचना प्रेषित किए जाने की तिथि छोड़कर) 7 (सात दिन) के अन्दर लौट की कीमत का 10 प्रतिशत जमानत करना अनिवार्य है।

(iii) यदि क्रेता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत जमानत नहीं जमा की जाती है तो तत्सम्बन्धी जमा, नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क जब्त कर लिया जाएगा और लौट के विक्रय निस्तारण हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।

(iv) लौट का कार्य संतोषजनक निर्धारित प्रक्रियानुसार सम्पन्न किए जाने के उपरान्त ही जमा की वापसी/समायोजन होगा।

6. नीलाम/निविदा प्रपत्र में यथानिर्दिष्ट क्रेता को हस्ताक्षर करने होंगे।

7. बिक्री का अनुमोदन वन निगम के समक्ष अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक/डिपो अधिकारी/प्रतिनिधि द्वारा इसकी सूचना क्रेता को पंजीकृत डाक/कोरियर के माध्यम से क्रेता के पते पर भेजी जायेगी। डाक में विलम्ब की जिम्मेदारी वन निगम की नहीं होगी।

8. नीलाम/निविदा की तिथि से 30 (तीस दिन) के अन्दर (नीलाम/निविदा की तिथि छोड़कर) यदि लाट का अनुमोदन क्रेता को सूचित नहीं किया जाता है तो क्रेता लाट क्रय करने के बाध्य नहीं होगा एवं जमा जमानत की वापसी/समायोजन हेतु क्रेता स्वतंत्र होगा।

(क्रमशः 02 पर)

Scanned with OKEN Scanner

9. क्रेता को लाट का सम्पूर्ण विक्रय मूल्य, व्यापार कर, आयकर, मण्डी शुल्क (शासन द्वारा निर्धारित दरों पर) आदि देयक अनुमोदन सूचना जारी होने के (जारी तिथि छोड़कर) 20 दिन के भीतर जमा करना होगा। विशेष विक्रय मूल्य पर 0.25 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क के साथ अधिकतम 10 (दस दिन) दिनों की मियाद वृद्धि अनुमन्य होगी। मियाद वृद्धि, समुचित कारणो का उल्लेख करते हुये प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा दी जा सकेगी। यदि मियाद वृद्धि की अवधि में भी समस्त देयक जमा नहीं किया जाता है तो लाट की बिक्री स्वतः निरस्त हो जायेगी और क्रेता की जमानत जब्त हो जायेगी और लौट का निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।

10. लौट का विक्रय मूल्य, व्यापार कर, आयकर, मण्डी शुल्क, स्टाम्प शुल्क आदि देयक सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक के पक्ष में बने ड्राफ्ट/पे–आर्डर **RTGS/NEFT/E-Payment** द्वारा ही स्वीकार होगा। सीमान्त समायोजन हेतु अधिकतम रू0 3000/– नगद जमा हो सकते है।

11. समस्त देयकों की अदायगी हो जाने पर कार्यादेश प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा जारी किया जायेगा जो दस्ती/डाक द्वारा भेजा जाएगा। कार्यादेश जारी होने की तिथि के 10 दिन के अन्दर (जारी भेजने की तिथि छोड़कर) क्रेता को लौट में कार्य आरम्भ करना होगा। सूचित आरम्भ करने से 03 दिन पूर्व उसे वन निगम के सम्बन्धित अधिकारी (जिसका उल्लेख कार्यादेश में होगा) को लिखित रूप से सूचित करना होगा तथा वन निगम के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कार्य आरम्भ करना होगा।

12. लौट में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व क्रेता को रू0 100/– के स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध करना होगा। नीलाम/निविदा शर्ते भी अनुबन्ध का भाग होगीं।

13. यदि क्रेता कार्यादेश निर्गत होने के 10 (दस) दिनो के अन्दर कार्य आरम्भ नहीं करता है तो लौट के विरूद्ध जमा विक्रय मूल्य आदि समस्त धनराशि सहित स्वतः जब्त हो जायेगी तथा लौट का निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।

14. क्रेता केवल चिन्हित वृक्षो का ही पातन/कटान करेगा। यदि किसी वृक्ष के विषय में सन्देह हो तो क्रेता उसके निराकरण हेतु वन निगम के सम्बन्धित इकाई अधिकारी को लिखित आवेदन करेगा। निराकरण होने के पश्चात् ही ऐसे वृक्ष का पातन/कटान करेगा। यदि क्रेता चिन्हित वृक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य वृक्ष का पातन/कटान करेगा तो उसे इसके लिए निर्धारित अर्थ दण्ड देना होगा। यदि लौट में कार्य के समय किसी भी समय यह ज्ञात होगा कि क्रेता द्वारा कहीं भी अवैध पातन/कटान किया है तो लौट की बिक्री तत्काल निरस्त कर दी जायेगी और क्रेता द्वारा हेतु समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी। चिन्हित समस्त छपे वृक्षो एवं कटे हुये प्रकाष्ठ/जलौनी पर वन निगम का स्वामित्व हो जायेगा। इसक अतिरिक्त वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी।

15. लौट के क्रेता को वृक्षो का पातन/कटान, आवश्यकतानुसार लापिंग आदि करने इस से करना होगा ताकि लौट के समीपस्थ बिजली लाइन, टेलीफोन लाइन या भवनो आदि को क्षति न हो। लौट में काटे जा रहे वृक्षो से मार्ग पर चलने वाले वाहनो एवं राहगीरो आदि की सुरक्षा हेतु (आवश्यकतानुसार) लाल झण्डी का प्रयोग क्रेता को करना होगा। यदि लौट में वृक्षो के कटान से किसी व्यक्ति अथवा किसी सम्पत्ति की कोई क्षति होगी तो इसकी प्रतिपूर्ति क्रेता को करनी होगी।

16. क्रेता द्वारा नियमानुसार सुसंगत नियमों एवं प्रक्रियाओ का पालन करते हुये लौट में कार्यरत श्रमिको को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा।

17. क्रेता को लौट से माल निकासी वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन निगम के निर्धारित के अन्तर्गत वन निगम के निर्धारित प्रपत्र 4.5 में वन निगम के अधिकृत कर्मचारी द्वारा दी जायेगी। निकासी रवन्ना पर क्रेता अथवा क्रेता के अधिकृत एवं वाहन चालक को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। निकासी नियमानुसार सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच दी जायेगी। निकासी के समय नियमानुसार अभिवहन शुल्क भी क्रेता को देना होगा, निकासी हेतु लौट स्थल को ही ट्रान्जिट डिपो माना जायेगा।

(क्रमशः 03 पर)

Scanned with OKEN Scanner

18. विक्रय सूची/कार्यादेश में अंकित समय सीमा–निर्धारित कार्य अवधि के अन्तर्गत क्रेता को लौट (जॉब) के सभी चिन्हित वृक्षो का पातन/कटान एवं उत्पादित प्रकाष्ठ जलौनी आदि की निकासी करनी होगी। निकासी से पूर्व प्रकाष्ठ के बोटो पर वन निगम अपने स्वामित्व का घन चिन्ह लगायेगा। यदि क्रेता निर्धारित समय के अन्दर पातन/कटान व उत्पादित हुये प्रकाष्ठ/जलौनी की निकासी नहीं करेगा तो क्रेता के लिखित आवेदन पर उसे 15 दिनो का अतिरिक्त समय अनुमन्य हो सकता है, जिसके लिये क्रेता को लौट के कुल विक्रय मूल्य का 0.10 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अवधि विस्तार शुल्क देना होगा। यदि इन अतिरिक्त 15 दिनो में भी क्रेता लौट का कार्य पूर्ण नहीं करता है तो छपे वृक्षो एवं उत्पादित समस्त प्रकाष्ठ/जलौनी पर वन निगम का स्वामित्व हो जायेगा जिसका निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।

19. लौट की कार्यसमाप्ति के बाद क्रेता द्वारा इसकी लिखित सूचना सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक को दी जायेगी। तदुपरान्त नियमानुसार कार्य सम्पन्न होने की दशा में क्रेता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम सहित सम्बन्धित सुसंगत नियमो एवं प्रक्रियाओ का पालन करना होगा।

20. क्रेता पर किसी भी प्रकार की बकाया वसूली क्रेता से भू–राजस्व के रूप में की जा सकती है।

21. लौट का कार्य निर्धारित प्रक्रियानुसार एवं संतोषजनक सम्पन्न होने के उपरान्त जमा जमानत वापस/समायोजित की जायेगी।

22. क्रेता एवं प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक के मध्य विवाद उत्पन्न होने पर सम्बन्धित **"क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तराखण्ड वन विकास निगम"** पंच निर्णायक होंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा जो दोनो पक्षों का मान्य होगा।

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
हल्द्वानी।

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
हल्द्वानी।

Scanned with OKEN Scanner

## उत्तराखण्ड वन विकास निगम, विपणन प्रभाग, हल्द्वानी
## प्रकाष्ठ विकय डिपो लालकुआं डिपो संख्या–1

विकय सूची सी–1 जब्ती प्रकाष्ठ त० पू० वन प्रभाग वन प्रभाग 20.11.2024

| क्र0 सं0 | वन विकास निगम की लौट संख्या | वन विभाग की लौट संख्या | वन प्रभाग | राजि का नाम | रेंज केस संख्या / जब्ती प्रकाष्ठ | प्रजाति | ग्रेड | नग | आयतन (घ0मी0) | प्रकाष्ठ जहाँ रखा है, मौके पर जैसा है। | क्रेता का नाम | पूर्व इतिहास |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 1 | 427/24-25 | 59/24-25 | त० पू० वन प्रभाग | बारकोली वन क्षेत्र सितारगंज | त० पू० वन प्रभाग के पत्र संख्या -2126/9-1 आँधी तूफान से उखड़े वृक्ष | सेमल | IV | 7 | 4.6678 | पण्डरी बीट राजी परिसर सितारगंज | | |
| | | | | | | शीशम | III | 9 | 1.0865 | सिसैया बीट राजी परिसर सितारगंज | | |
| | | | | | | योग | | 16 | 5.7543 | | | 20/11/2024 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 428/24-25 | 60/24-25 | त० पू० वन प्रभाग | बारकोली वन क्षेत्र सितारगंज | 64/22-23 | यूकेलिप्टस लटठा | IV | 4 | 0.7501 | सितारगंज वन परिसर | | |
| | | | | | 22/01/2023 | शीशम लटठा | IV | 2 | 0.0760 | ढोलावन वन परिसर | | |
| | | | | | 20/02/2021 | यूकेलिप्टस पोल | IV | 40 | 0.2800 | बमनपुरी वन परिसर | | |
| | | | | | 23/03/2024 | बैत | IV | 30 QNTL | | शक्तिफार्म वन परिसर | | |
| | | | | | 23/07/2024 | मिश्रित सोक्ता | IV | 20 QNTL | | ढोलावन वन परिसर | | |
| | | | | | 20/04/2021 | यूकेलिप्टस लटठा | IV | 9 | 2.4571 | ढोलावन वन परिसर | | |
| | | | | | 46/23-24 | शीशम लटठा | IV | 6 | 0.3502 | शक्तिफार्म वन परिसर | | |
| | | | | | | योग | | 61 | 3.9134 | | | 20/11/2024 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 429/24-25 | 61/24-25 | त० पू० वन प्रभाग | बारकोली वन क्षेत्र सितारगंज | 20/08/2021 | सागौन लटठा | IV | 80 | 2.4021 | सितारगंज वन परिसर | | 20/11/2024 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 430/24-25 | 62/24-25 | त० पू० वन प्रभाग | बारकोली वन क्षेत्र सितारगंज | 17/11/2018 | सागौन लटठा | IV | 10 | 0.9071 | शक्तिफार्म वन परिसर | | |
| | | | | | 17/12/2018 | सागौन लटठा | IV | 19 | 1.8235 | शक्तिफार्म वन परिसर | | |
| | | | | | | योग | | 29 | 2.7306 | | | 20/11/2024 |

डिपो अधिकारी
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
लालकुआँ डिपो सं–1

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 431/24-25 | 63/24-25 | त॰ पू॰ वन प्रभाग | बारकोली वन क्षेत्र सितारगंज | 57/20-21 | सागौन लटठा | IV | 1 | 0.0872 | बमनपुरी वन परिसर | | |
| | | | | | 13/22-23 | सागौन लटठा | IV | 5 | 0.2871 | बमनपुरी वन परिसर | | |
| | | | | | 23/05/2024 | सागौन लटठा | IV | 8 | 0.7448 | शक्तिफार्म वन परिसर | | |
| | | | | | 51/23-24 | सागौन लटठा | IV | 5 | 0.3110 | ढोलावन वन परिसर | | |
| | | | | | | योग | | 19 | 1.4301 | | | 20/11/2024 |
| 6 | 432/24-25 | 64/24-25 | त॰ पू॰ वन प्रभाग | बारकोली वन क्षेत्र सितारगंज | 29/17-18 | सागौन लटठा | IV | 5 | 0.3472 | शक्तिफार्म वन परिसर | | |
| | | | | | 23/17-18 | सागौन लटठा | IV | 10 | 0.7318 | ढोलावन वन परिसर | | |
| | | | | | 19/10/2020 | सागौन लटठा | IV | 4 | 0.1990 | शक्तिफार्म वन परिसर | | |
| | | | | | 56/21-22 | सागौन लटठा | IV | 6 | 0.7960 | बमनपुरी वन परिसर | | |
| | | | | | | योग | | 25 | 2.0740 | | | 20/11/2024 |
| 7 | 433/24-25 | 65/24-25 | त॰ पू॰ वन प्रभाग | बारकोली वन क्षेत्र सितारगंज | 17/21-22 | साल लटठा | IV | 3 | 0.5946 | बमनपुरी वन परिसर | | |
| | | | | | 22/10/2023 | साल लटठा | IV | 5 | 0.5868 | सितारगंज वन परिसर | | |
| | | | | | 22/01/2023 | साल लटठा | IV | 2 | 0.6630 | ढोलावन वन परिसर | | |
| | | | | | 53/23-24 | साल लटठा | IV | 8 | 0.2797 | बमनपुरी वन परिसर | | 20/11/2024 |
| | | | | | | योग | | 18 | 2.1241 | | | |
| 8 | 434/24-25 | 66/24-25 | त॰ पू॰ वन प्रभाग | बारकोली वन क्षेत्र सितारगंज | 49/18-19 | खैर लटठा | IV | 7 | 0.4502 | ढोलावन वन परिसर | | |
| | | | | | 22/01/2023 | जामुन लटठा | IV | 2 | 0.3640 | ढोलावन वन परिसर | | 20/11/2024 |
| | | | | | | योग | | 9 | 0.8142 | | | |

1- लॉट का प्रकाष्ठ मौके पर कर्मचारी बतलायेगा।

2- प्रकाष्ठ की नपत छाल सहित है, प्रकाष्ठ की नपत में अन्तर हेतु विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3- प्रकाष्ठ खुले आसमान के नीचे पडा होने के कारण छतिग्रस्त हो रहा है।

4- प्रकाष्ठ जहाँ है जैसा है उसी स्थिति में लेना होगा।

डिपो अधिकारी
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
लालकुआँ डिपो सं-1

(हल्द्वानी डिपो संख्या -03)

नीलाम तिथि–20-11-2024 नीलाम स्थान – लालकुआँ डिपो सं0 01

## रायल्टी पेड़ खतरनाक खडे वृक्षों का नीलाम

| क्रम स0 | वन विकास निगम की लौट | वन विभाग की लौट सं0 | वन प्रभाग | राजि का नाम | लौगिंग प्रभाग का नाम | प्रजाति | किस्म | नपत (से0मी0) | कुल वृक्ष | ठोस आयतन (सी0सी0एफ0) | अनुमानित आयतन (घ0मी0) | आधार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51/24-25 | 15/24-25 | रानीखेत | राजकीय प्राथमिक विद्यालय वमस्यू, परिसर | लौगिंग प्रभाग नैनीताल | यू0के0 | हरा अयोग्य | 30-40 | 2 | 0.2720 | 0.1360 | |
| | | | | | | | हरा अयोग्य | 40-50 | 1 | 0.2480 | 0.1240 | |
| | | | | | | | हरा योग्य | 50-60 | 1 | 0.3920 | 0.3920 | |
| | | | | | | | हरा अयोग्य | 50-60 | 1 | 0.3920 | 0.1960 | |
| | | | | | | | हरा अयोग्य | 60-70 | 1 | 0.0550 | 0.2750 | |
| | | | | | | | कुल योग- | | 6 | 1.3590 | 1.1230 | |
| 2 | 23/24-25 | 3/24-25 | रानीखेत | वन पंचायत तौडा | लौगिंग प्रभाग नैनीताल | चीड़ | हरा योग्य | 80-90 | 1 | 7.0100 | 3.5050 | |
| 3 | 52/24-25 | 16/24-25 | रानीखेत | गनियाद्योली कक्ष सं0-01 | लौगिंग प्रभाग नैनीताल | चीड़ | हरा योग्य | 50-60 | 1 | 2.6630 | 2.6630 | |
| | | | | | | चीड़ | हरा योग्य | 80-90 | 1 | 7.0100 | 7.0100 | |
| | | | | | | | कुल योग- | | 2 | 9.6730 | 9.6730 | |
| 4 | 91/24-25 | 4/24-25 | नैनीताल | नगरपालिका | लौगिंग प्रभाग नैनीताल | यू0के0 | हरा अयोग्य | 90-up | 1 | 1.0230 | 0.5115 | |

डिपो अधिकारी
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
हल्द्वानी डिपो सं0 3



Scanned with OKEN Scanner

| क्रम सं० | वन विकास निगम की लौट | वन विभाग की लौट सं० | वन प्रभाग | राजि का नाम | लौगिंग प्रभाग का नाम | प्रजाति | किस्म | नपत (से०मी०) | कुल वृक्ष | ठोस आयतन (सी०सी०एफ०) | अनुमानित आयतन (घ०मी०) | आधार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 92/24-25 | 7/24-25 | मनोरा | इण्डो- डच मशरूम परियोजना, ज्योलीकोट | लौगिंग प्रभाग नैनीताल | तुन | हरा अयोग्य | 50-60 | 1 | 2.7200 | 1.3600 | |
| | | | | | | | तुन योग- | | 1 | 2.7200 | 1.3600 | |
| | | | | | | पीपल | हरा अयोग्य | 70-80 | 1 | 1.9820 | 0.9910 | |
| | | | | | | पीपल | हरा अयोग्य | 90-up | 2 | 6.7960 | 3.3980 | |
| | | | | | | | पीपल योग- | | 3 | 8.7780 | 4.3890 | |
| | | | | | | सिल्वर ओक | हरा अयोग्य | 30-40 | 3 | 0.6810 | 0.3405 | |
| | | | | | | सिल्वर ओक | हरा अयोग्य | 60-70 | 1 | 0.8500 | 0.4250 | |
| | | | | | | सिल्वर ओक | हरा अयोग्य | 90-up | 2 | 4.5300 | 2.2650 | |
| | | | | | | | सिल्वर ओक योग- | | 6 | 6.0610 | 3.0305 | |
| | | | | | | कोकाट | हरा अयोग्य | 50-60 | 1 | 0.5660 | 0.2380 | |
| | | | | | | कोकाट | हरा अयोग्य | 70-80 | 1 | 1.1330 | 0.5665 | |
| | | | | | | कोकाट | हरा अयोग्य | 80-90 | 1 | 1.5570 | 0.7785 | |
| | | | | | | कोकाट | हरा अयोग्य | 90-up | 1 | 1.9820 | 0.9910 | |
| | | | | | | | कोकाट योग- | | 4 | 5.2380 | 2.5740 | |
| | | | | | | जामुन | हरा अयोग्य | 90-up | 1 | 3.8430 | 1.9215 | |
| | | | | | | | जामुन योग- | | 1 | 3.8430 | 1.9215 | |
| | | | | | | जलौनी | हरा अयोग्य | 80-90 | 1 | 1.5570 | 0.7785 | |
| | | | | | | | जलौनी योग- | | 1 | 1.5570 | 0.7785 | |
| | | | | | | | कुल योग- | | 16 | 28.1970 | 14.0985 | |

प्रभागीय वनाधिकारी

| क्रम स० | वन विकास निगम की लौट | वन विभाग की लौट सं० | वन प्रभाग | राजि का नाम | लौगिंग प्रभाग का नाम | प्रजाति | किस्म | नपत (से०मी०) | कुल वृक्ष | ठोस आयतन (सी०सी०एफ०) | अनुमानित आयतन (घ०मी०) | आधार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 93/24-25 | 8/24-25 | मनोरा | रानीबाग–नैनीताल व रानीबाग–भीमताल माटर मार्ग | लौगिंग प्रभाग नैनीताल | साल | हरा अयोग्य | 40-50 | 1 | 1.0230 | 0.5115 | |
| | | | | | | | **साल योग–** | | **1** | **1.0230** | **0.5115** | |
| | | | | | | तुन | हरा अयोग्य | 90-up | 2 | 8.0580 | 4.0290 | |
| | | | | | | | तुन योग– | | **2** | **8.0580** | **4.0290** | |
| | | | | | | चीड़ | हरा अयोग्य | 40-50 | 1 | 1.5020 | 0.7510 | |
| | | | | | | चीड़ | हरा अयोग्य | 50-60 | 1 | 2.6630 | 1.3315 | |
| | | | | | | | **चीड़ योग–** | | **2** | **4.1650** | **2.0825** | |
| | | | | | | जलौनी | हरा अयोग्य | 30-40 | 1 | 0.5400 | 0.2700 | |
| | | | | | | | **जलौनी योग–** | | **1** | **0.5400** | **0.2700** | |
| | | | | | | | **कुल योग–** | | **6** | **13.7860** | **6.8930** | |
| 7 | 94/24-25 | 35/24-25 | रानीखेत | कठालेख कक्ष सं0–07 | लौगिंग प्रभाग नैनीताल | चीड़ | हरा योग्य | 40-50 | 1 | 1.5020 | 1.5020 | |
| | | | | | | चीड़ | हरा योग्य | 50-60 | 3 | 7.9890 | 7.9890 | |
| | | | | | | | **कुल योग–** | | **4** | **9.4910** | **9.4910** | |
| 8 | 95/24-25 | 38/24-25 | रानीखेत | सोनी कक्ष सं0–14 | लौगिंग प्रभाग नैनीताल | चीड़ | हरा अयोग्य | 70-80 | 1 | 5.6600 | 2.8300 | |
| | | | | | | | **कुल योग–** | | **1** | **5.6600** | **2.8300** | |

डिपो अधिकारी
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
हल्द्वानी डिपो सं० 3



Scanned with OKEN Scanner

| क्रम सं० | वन विकास निगम की लौट | वन विभाग की लौट सं० | वन प्रभाग | राजि का नाम | लौगिंग प्रभाग का नाम | प्रजाति | किस्म | नपत (से०मी०) | कुल वृक्ष | ठोस आयतन (सी०सी०एफ०) | अनुमानित आयतन (घ०मी०) | आधार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 96/24-25 | 40/24-25 | रानीखेत | पढोली कक्ष सं०-01, 02 | लौगिंग प्रभाग नैनीताल | चीड़ | हरा योग्य | 60-70 | 1 | 4.0800 | 4.0800 | |
| | | | | | | चीड़ | हरा अयोग्य | 60-70 | 1 | 4.0800 | 2.0400 | |
| | | | | | | चीड़ | हरा योग्य | 70-80 | 4 | 22.6400 | 22.6400 | |
| | | | | | | चीड़ | हरा अयोग्य | 70-80 | 1 | 5.6600 | 2.8300 | |
| | | | | | | चीड़ | हरा योग्य | 80-90 | 1 | 7.0100 | 7.0100 | |
| | | | | | | चीड़ | हरा अयोग्य | 80-90 | 2 | 14.0200 | 7.0100 | |
| | | | | | | | कुल योग- | | 10 | 57.4900 | 45.6100 | |
| 10 | 97/24-25 | 41/24-25 | रानीखेत | गनियाद्योली कक्ष सं०-01 | लौगिंग प्रभाग नैनीताल | चीड़ | हरा योग्य | 30-40 | 1 | 0.6940 | 0.6940 | |
| | | | | | | चीड़ | हरा योग्य | 50-60 | 1 | 2.6630 | 2.6630 | |
| | | | | | | चीड़ | हरा योग्य | 60-70 | 3 | 12.2400 | 12.2400 | |
| | | | | | | चीड़ | हरा योग्य | 70-80 | 2 | 11.3200 | 11.3200 | |
| | | | | | | | कुल योग- | | 7 | 26.9170 | 26.9170 | |
| 11 | 98/24-25 | 47/24-25 | रानीखेत | चिलयानौला कक्ष सं०- 07 | लौगिंग प्रभाग नैनीताल | पेंचदार चीड़ | हरा अयोग्य | 30-40 | 2 | 1.3640 | 0.6820 | |
| | | | | | | पेंचदार चीड़ | हरा अयोग्य | 40-50 | 1 | 1.2890 | 0.6445 | |
| | | | | | | पेंचदार चीड़ | हरा अयोग्य | 50-60 | 1 | 2.2740 | 1.1370 | |
| | | | | | | | पेंचदार चीड़ योग- | | 4 | 4.9270 | 2.4635 | |
| | | | | | | सुरई | हरा अयोग्य | 30-40 | 1 | 0.6960 | 0.3480 | |
| | | | | | | सुरई | हरा अयोग्य | 40-50 | 1 | 1.3150 | 0.6575 | |
| | | | | | | | सुरई योग- | | 2 | 2.0110 | 1.0055 | |
| | | | | | | | कुल योग- | | 6 | 6.9380 | 3.4690 | |
| 12 | 99/24-25 | 48/24-25 | रानीखेत | ग्राम पंचायत-अम्याडी मे पंचायत भवन हेतु | लौगिंग प्रभाग नैनीताल | चीड़ | हरा अयोग्य | 10-20 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | |
| | | | | | | चीड़ | हरा अयोग्य | 20-30 | 7 | 0.9380 | 0.4690 | |
| | | | | | | चीड़ | हरा अयोग्य | 30-40 | 2 | 1.3880 | 0.6940 | |
| | | | | | | | कुल योग- | | 10 | 2.3260 | 1.1630 | |



Scanned with OKEN Scanner

## विकय सूची निलाम तिथि –20–11–2024 (लालकुआं डिपो संख्या–1 )

### रायल्टी पेड खतरनाक खड़े वृक्षों का नीलाम

| क्र0 सं0 | वन विकास निगम की लॉट संख्या | वन विभाग की लॉट संख्या | वन प्रभाग | रेंज का नाम | लौगिंग प्रभाग का नाम | प्रजाति | नपत (सेमी0) | कुल वृक्ष | अनुमानित आयतन (घ0मी0) | लॉट का विवरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 607/23-24 | 191/23-24 | तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी | गौला रेंज | पूर्वी हल्द्वानी लौगिंग प्रभाग | सेमल हरा खड़ा | 90से ऊपर | 1 | 6.9740 | श्री विवेक कुमार सिंह आगरी पुत्र सूर सिंह निवासी - पुराना बिन्दुखत्ता लालकुआँ नैनीताल | 23-1-24 JJ |
| 2 | 294/24-25 | 1/24-25 | हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी | छकाता रेंज | पूर्वी हल्द्वानी लौगिंग प्रभाग | शीशम हरा | | 1 | 1.3910 | | निरस्त |
| | | | | | | कोकाट हरा | | 2 | 1.8140 | | |
| | | | | | | कोमल काष्ठ हरा | | 6 | 11.3010 | | |
| | | | | | | योग | | 9 | 14.5060 | | |
| 3 | 295/24-25 | 2/24-25 | हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी | छकाता रेंज | पूर्वी हल्द्वानी लौगिंग प्रभाग | कोकाट हरा | | 5 | 6.8100 | | निरस्त |
| 4 | 671/24-25 | 167/24-25 | तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी | किशनपुर रेंज | पूर्वी हल्द्वानी लौगिंग प्रभाग | सेमल | 90 से ऊपर | 1 | 8.8730 | | |
| 5 | 672/24-25 | 227/23-24 | तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी | गौला रेंज | पूर्वी हल्द्वानी लौगिंग प्रभाग | कन्जू | 90 से ऊपर | 2 | 2.6050 | | |
| | | | | | | जामुन | 90 से ऊपर | 2 | 1.0200 | | |
| | | | | | | | योग | 4 | 3.6250 | | |
| 6 | 674/24-25 | 182/24-25 | तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी | गौला रेंज | पूर्वी हल्द्वानी लौगिंग प्रभाग | कुसुम हरा खड़ा | 90से ऊपर | 1 | 1.8250 | ग्राम - डुंगरपुर रेलवे पटरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हल्दूचौड़ | |
| 7 | 675/24-25 | 186/24-25 | तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी | गौला रेंज | पूर्वी हल्द्वानी लौगिंग प्रभाग | सेमल हरा खड़ा | 80- 90 से ऊपर | 1 | 5.4380 | इमाई फार्म रेलवे पटरी बिन्दुखत्ता सुभाष नगर जवाहर नगर नम्बा | |

डिपो अधिकारी
लालकुआं डिपो नंबर -01